

अनवान ..... बनाम

प्रकरण संख्या ..... / अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
--------	-----------------------------------

24/05/23

बकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब. पत्रावली दिनांक 08/05/23 को पेश है।

25/5/23

बकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब. पत्रावली दिनांक 15/5/23 को पेश है।

15/5/23

वादीगण अधिकारता उपस्थित/विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। सामिल मिलल किया गया। बहस खूनी गई। पत्रावली पारित आदेश दिनांक 20/05/23 को पेश है।

20/5/23

आज यह पत्रावली प्रशासन गाँवों के समूह अधिवान-2023 ग्रा.प. रफू मुकत में पेश हुई। निधि अलग से लिखवाया जाकर खूनाया गया। वादीगण का वादपत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। पत्रावली निधि लेकर नम्बर से कम होकर दाखिल पकतर है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखाण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 28/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ललित कुमार पुत्र श्री जगदीश राय जाति अरोड़ा निवासी 14 सी ब्लॉक, श्री करणपुर तहसील श्री करणपुर।		1. नरेश कमल पुत्र प्रीतम चन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं0 19, श्री करणपुर तहसील श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर।
2. संदीप कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति अरोड़ा निवासी 19 सी ब्लॉक, श्री करणपुर तहसील श्री करणपुर।		2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 03.03.2022

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय--

दिनांक:

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला(10 ओ) भू, अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र, श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 60/51 के मुरब्बा नं0 1 व 2 में कुल 5.186 हैक्टर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है, जिसमें वादी संख्या 1 के नाम 1.944 हैक्टर व वादी संख्या 2 के नाम भी 1.944 हैक्टर कुल 3.888 हैक्टर भूमि दर्ज है। राजस्व ग्राम चक 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला(10 ओ) भू, अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र, श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 60/51 के मुरब्बा नं0 1 के किला नं0 4 के 0.025 हैक्टर, किला नं0 5 के 0.025 हैक्टर, किला नं0 6 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 7/1 के 0.232 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, किला नं0 15 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 16 के 0.253 हैक्टर व किला नं0 25 के 0.253 हैक्टर व मुरब्बा नं0 2 के किला नं0 1 के 0.025 हैक्टर, किला नं0 2 के 0.025 हैक्टर, किला नं0 3/1 के 0.013 हैक्टर, किला नं0 8/2 के 0.127 हैक्टर, किला नं0 9 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 10 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 11 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 12 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 13/1 के 0.126 हैक्टर, किला नं0 18/2 के 0.127 हैक्टर, किला नं0 19 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 20 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 21 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 22 के 0.253 हैक्टर व किला नं0 23/1 के 0.127 हैक्टर कुल रकबा 3.888 हैक्टर नहरी भूमि वादीगण के कब्जा में चली आ रही है। उक्त वर्णित किलाजात की भूमि का जोत विभाजन करवाकर, वादीगण को संयुक्त रूप से उक्त किलाजात की भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता व लगान कायम किया जाना न्यायोचित है। इसी प्रकार से उक्त खाता के मुरब्बा नं0 1 के किला नं0 3/2 के 0.013 हैक्टर, किला नं0 7/2 के 0.021 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा, किला नं0 8/1 के 0.126 हैक्टर, किला नं0 13/2 के 0.127 हैक्टर, किला नं0 14 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 17 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 18/1 के 0.126 हैक्टर, किला नं0 23/2 के 0.126 हैक्टर व किला नं0 24 के 0.253 हैक्टर कुल रकबा 1.297 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा में चली आ रही है। उक्त वर्णित किलाजात की भूमि का जोत विभाजन करवाकर, प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त किलाजात की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता व लगान कायम किया जाना न्यायोचित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या



श्री सुभाष चन्द्र (रजस्व)



बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस एकपक्षीय वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 60/51 के मुरब्बा नम्बर 1, 2 की कुल 5.186 हेक्टैयर भूमि में वादी ललित कुमार के हिस्सा में 1.944 हेक्टैयर, वादी संख्या 2 सन्दीप कुमार के हिस्सा में 1.944 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वत्तियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान	
ललित कुमार पुत्र श्री जगदीश राय जाति अरोड़ा निवासी 14 सी ब्लॉक, श्री करणपुर तहसील श्री करणपुर। (1.944 हेक्टैयर) सन्दीप कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति अरोड़ा निवासी 19 सी ब्लॉक, श्री करणपुर तहसील श्री करणपुर। (1.944 हेक्टैयर)	12 ओ	1	4	0.025 हेक्टैयर	नहरी	0.22	
			5	0.025 हेक्टैयर	नहरी	0.22	
			6	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.25	
			7/1	0.232 हेक्टैयर	नहरी	2.06	
			15	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.25	
			16	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.25	
			25	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.25	
			2	1	0.025 हेक्टैयर	नहरी	0.22
				2	0.025 हेक्टैयर	नहरी	0.22
		3/2		0.013 हेक्टैयर	नहरी	0.12	
		8/2		0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.12	
		9,10,11		0.759 हेक्टैयर	नहरी	6.75	
		12		0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.25	
		13/1		0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.12	
		18/2		0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.12	
		19 ता 22		1.012 हेक्टैयर	नहरी	9.0	
		23/1		0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.12	

ता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री जारी बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद की जाती जावे। दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक नजरी अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गाँवों के संग

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक नजरी अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक  
श्रीगंगानगर-2023 में सुनाया गया।

